11/1/23 वकील वादी उपस्थित। वाद वादी स्वीकार किया गया। वेतनार्थ पुस्तक में लिखवाया जाकर आदेश पारित किया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड़

(पीठासीन अधिकारी श्रीमती मनीषा तिवाड़ी, आरएएस)

मुकदमानम्बर 739 / दावा / 18

1. बद्रीलाल आ0 गुलाब — तारीख दायरा 21.8.2018
2. सालगरामआ0 गुलाब
3. मथरीलाल आ0 गुलाब
4. दौलाबाई पत्नि जगन्नाथ पुत्री गुलाब
5. फूलाबाई पत्नि परथीलाल पुत्री गुलाब
6. पानबाई पत्नि मोहनलाल पुत्री गुलाब, अकवाम गुजरान निवासियान बोरझड़ी तह. झालरापाटन

... वादीगण

बनाम

1. मांगीलाल पिता चैना
2. नारायण पिता चैना
3. बापूलाल पिता चैना, अकवाम गुजरान निवासी बोरझड़ी तहसील झालरापाटन
4. नानीबाई पत्नि रामलाल पिता चैना निवासी मोलक्या तहसील झालरापाटन
5. अमरीबाई पत्नि नारायणसिंह जाति गुर्जर निवासी कुण्डालिया तह. जीरापुर
6. फूलीबाई पिता चैना जातिगुर्जर निवासी पिपल्या तहसील असनावर
7. रामलाल पिता किशोर जाति गुर्जर निवासी बोरझड़ी तहसील झालरापाटन
8. कमलाबाई पत्नि रतनलाल पिता किशोर जाति गुर्जर निवासी मुकन्दपुरा तह. जीरापुर
9. नाथीबाइ पत्नि किशनलाल पिता किशोर जाति गूर्जर निवासी बावडीखेड़ा तह. झा.पाटन
10. हेमराज पिता कालू
11. ज्ञानसिंह पुत्र काल जाति गूर्जर निवासी बोरझड़ी
12. कंचनबाई पत्नि स्व0 कालूलाल जाति गूर्जर निवासी बोरझड़ी तह. झालरापाटन
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झालरापाटन

... प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89, 91, 92, 209 राज0 टीनेन्सी एक्ट एवं धारा 136 लेण्डरेवेन्यु एक्ट

उपस्थितिः—

श्री शेलेन्द्र कुमार पोसवाल, अभिभाषक वादीगण
प्रतिवादीगण के विरूद्व इकतरफा

—:: निर्णय ::—

दिनांक 11 जनवरी 2023

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम बोरझझड़ी पटवार हल्का बोरझड़ी भू—अभिलेख निरीक्षक वृत आगरिया तहसील बकानी जिला झालावाड के नया खाता संख्या 84 के खसरानम्बर 56 रकवा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 57 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 74 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 75 रकबा 4 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 77 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा,खसरा नम्बर 185 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा,खसरा नम्बर 186 रकबा 17 बिस्वा,खसरा नम्बर 201 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 280 रकबा 05 बिस्वा, कुल किता—9

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़

कुल भूमि स्थित है । जिसको विवादित भूमि से सम्बोधित किया जावेगा तथा पूर्व की उक्त वर्णित आराजी की नकल खाता संख्या –13 सलंग्न है । आराजी का पुराना रेकार्ड मिलान क्षेत्रफल नकल इन्तकाल आदि सलंग्न है । विवादित आराजी के वादीगण ही खातेदार हैं परन्तु सेटलमेंट 2015–24 में त्रुटि के कारण वादीगण के पिता का नाम छूट गया वर्तमान जमाबन्दी में नाम दुरूस्त व खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं । वादीगण का विवादित आराजीयात में 1/3 हिस्सा बनता है । शजरे के अनुसार नन्दा के तीन पुत्र चैना गुलाब व किशोरथे । चैना व किशोर के वारिसान प्रतिवादीगण 1 लगायत 12 एवं गुलाब के वारिसान वादीगण है । विवादित आराजी पुश्तैनी है । जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का 1/3, 1/3 हिस्सा व हक है । इसलिए वादीगण को विवादित आराजी पर अपना नाम चढ़ाने व इन्द्राज दुरूस्ती करवाने का अधिकार है । वादीगण आराजी पर कई सालों से काबिज है एवं काश्त करते चले आ रहे हैं । अतः दावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण के पिता का नाम सेटलमेंट त्रुटि में छूट गया था जिस का संशोधन कराने एवं अपने पिता की आराजी में वादीगण का नाम का अंकन इन्द्राज दुरूस्ती के आधार पर दर्ज किया जाने के आदेश फरमावें ।

दावा वादी गण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी वकील को पर्याप्त अवसर दिनांक 5.12.2019 को अन्तिम अवसर के बाद भी कई अवसर प्रदान करने पर जवाबदावा पेश नहीं करने पर दिनांक 26.11.2020 को जवाबदावा बन्द किया जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई । वकील वादी ने वाद के समर्थन में साक्ष्य वादी में प्रदर्श–1 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 प्रदर्श–2 नकल खाताजात सम्वत् 2006 से 09 खाता संख्या–13, प्रदर्श–3 नकल खाताजात संख्या–14 सम्वत् 2006–09, प्रदर्श–4 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2018–21 खाता संख्या 10, प्रदर्श–5 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2010–13 खाता संख्या–16, प्रदर्श–6 नकल जमाबन्दी संवत् 2014–17 खाता संख्या 14, प्रदर्श–7 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2017–20 खाता सं. 10, प्रदर्श–8 नकल जमाबन्दी मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2015–24 खाता सं. 09, प्रदर्श–9 नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2015–24, प्रदर्श–10 नकल मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2039–49 खाता सं. 8, प्रदर्श–11 नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2039–49 पेश कर वादी बद्रीलाल, सालगराम व मथरीलाल के तस्दीक शुदा शपथ पत्र पेश किये गये ।

पत्रावली का अवलोकन किया । वकील वादी की बहस इकतरफा सुनी गई । वकील वादी द्वारा वादपत्र में प्रस्तुत किये गये दस्तावेज प्रदर्श–1 लगायत–11 से स्पष्ट है कि वादीगण का नाम नकल मिसल बन्दोबस्त जमाबन्दी सम्वत् 2015 से 24 राजस्व रेकार्ड में सहवन से छूट गया है जबकि उपरदर्शित सेटलमेंट से पूर्व सम्वत् 2006 से 2017 तक की जमाबन्दीयों में निरन्तर वादीगण के पिता गुलाब का नाम दर्ज है । इससे स्पष्ट होता है कि सेटलमेंट विभाग के द्वारा तैयार की गई मिसल बन्दोबस्त जमाबन्दी सम्वत् 2015–24 में सहवन से वादीगण के पिता गुलाब का नाम छूट गया है जो कानूनन वादीगणों के हित मे नहीं है तथा प्रश्नगत आराजी पुश्तैनी है तथा

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़

जिसमें वादीगण का मौके पर कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं । उक्त आराजी में वादीगण का 1/3 हिस्सा निहित है तथा वो जिसके खातेदार घोषित होने योग्य हैं अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है । अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि ग्राम बोरझड़ी तहसील बकानी की खाता संख्या नया 84 पुराना 71 कुल किता–9 कुल रकबा 17 बीघा 03 बिस्वा में वादीगण को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित जावे तथा भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कर वादीगण का नाम दर्ज कर राजस्व रेकार्ड में अमल करें । फर्द डिक्री जारी हो ।

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़

पीठासीन अधिकारी :– उपखण्ड अधिकारी झालावाड

1. बद्रीलाल आ0 गुलाब
2. सालगरामआ0 गुलाब
3. मथरीलाल आ0 गुलाब
4. दौलाबाई पत्नि जगन्नाथ पुत्री गुलाब
5. फूलाबाई पत्नि परथीलाल पुत्री गुलाब
6. पानबाई पत्नि मोहनलाल पुत्री गुलाब, अकवाम गुजरान निवासी बोरझड़ी तह. झा.पाटन ... वादीगण

बनाम

1. मांगीलाल पिता चैना
2. नारायण पिता चैना
3. बापूलाल पिता चैना, अकवाम गुजरान निवासी बोरझड़ी तहसील झालरापाटन
4. नानीबाई पत्नि रामलाल पिता चैना निवासी मोलक्या तहसील झालरापाटन
5. अमरीबाई पत्नि नारायणसिंह जाति गुर्जर निवासी कुण्डालिया तह. जीरापुर
6. फूलीबाई पिता चैना जातिगुर्जर निवासी पिपल्या तहसील असनावर
7. रामलाल पिता किशोर जाति गुर्जर निवासी बोरझड़ी तहसील झालरापाटन
8. कमलाबाई पत्नि रतनलाल पिता किशोर जाति गुर्जर निवासी मुकन्दपुरा तह. जीरापुर
9. नाथीबाइ पत्नि किशनलाल पिता किशोर जाति गूर्जर निवासी बावडीखेड़ा तह. झा.पाटन
10. हेमराज पिता कालू
11. ज्ञानसिंह पुत्र काल जाति गूर्जर निवासी बोरझड़ी
12. कंचनबाई पत्नि स्व0 कालूलाल जाति गूर्जर निवासी बोरझड़ी तह. झालरापाटन
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झालरापाटन ... प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92, 209 राज0 टीनेन्सी एक्ट एवं धारा 136 लेण्डरेवेन्यु एक्ट

प्रकरण संख्या 739 / दावा / 2018
तारीख दायरा 21.08.2018

यह मुकद्मा वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ बइजलास मनीषा तिवारी आर.ए.एस. मिनजानिब रूबरू वकील वादी श्री शैलेन्द्र पोसवाल, प्रतिवादी इकतरफा मुद्धालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि :–ग्राम बोरझड़ी तहसील बकानी की खाता संख्या नया 84 पुराना 71 कुल किता–9 कुल रकबा 17 बीघा 03 बिस्वा में वादीगण को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित जावे तथा भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कर वादीगण का नाम दर्ज कर राजस्व रेकार्ड में अमल करें। फर्द डिक्री जारी हो ।

आज तारीख 11.01.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ (राज.))

झालावाड़

मुहर					
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्धालय	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मीजान		
मीजान					